8/14

A2/TD

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 08 / 2014 (8/2014)
अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखचरणसिंह आयु 60 वर्ष एवं
2. मलूकसिंह आयु 65 वर्ष आत्मजन श्री मालासिंह, रायसिख, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगगानगर

...**वादीगण**

बनाम

1. श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह,
2. दर्शनसिंह,
3. मंगलसिह आत्मजन श्री मालासिंह, रायसिख, चक 6 जी बड़ी
4. श्रीमती सरजीतकौर आत्मजा श्री मालासिंह धर्मपत्नी श्री बगीचसिंह, रायसिख, चक खन्ना तहसील जीरा जिला फिरोजपुर(पंजाब)
5. सतपालसिंह,
6. श्रीमती अमनदीपकौर एवं
7. श्रीमती गुरप्रवाहकौर आत्मजन श्री सतनामसिंह, रायसिख, चक बहैक बादेला तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)
8. सुभाषचन्द्र एवं
9. गौरीशंकर आत्मजन श्री मांगीलाल, जाट, हरदीपसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर,
10. रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी
11. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
12. जगवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री तेजासिंह (वादीगण)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा(प्रतिवादी–6,7,12,14)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–12)

दिनांक 4 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34 / 32 में 2.530 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर 1.423 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम पर 1.423 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 क नाम पर 0.475 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नाम पर 0.474 हैक्टर संयुक्त खाता मे दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 को 100 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता से एव 100 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसी बहिन से दस्तबदारी द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को समस्त कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

8/14

11

पैतृक सम्पत्ति है. वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र हैं इसलिये वादीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में जन्मसिद्व अधिकार है. इसलिये वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवान के अधिकारी हैं. स्व. श्री मालासिंह के पांच पुत्र, दो पुत्रियां एवं स्वय श्रीमती प्यारकौर वारिस हैं तथा श्रीमती प्यारकौर के नाम पर दर्ज कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बनता है. इसलिये वादीगण भी अपने 1/8 हिस्सा तक घोषणा करवाकर अपने नाम पर कृषि भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के प्रभाव में है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को बहलाफुसला कर भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा सकता है. यदि भूमि खुर्दबुर्द हो जाती है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. ऐसी स्थिति में, वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 की 2.530 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं. संयुक्त खाता में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि को कभी भी खुर्दबुर्द किया जा सकता है किन्तु जब तक धारा 53 में विभाजन न हो तब तक बिना किलावाईज विभाजन करवाये प्रतिवादी संख्या 1 विकय करने की अधिकारी नहीं है. इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि के हिस्सानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी कर अच्छी से अच्छी एवं माड़ी से माड़ी भूमि की दर से विभाजन किया जाना अपेक्षित है. वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को करीब 15 दिवस पूर्व दिनांक 20 जनवरी, 2014 को घर जाकर कहा कि हमारे हिस्सा की भूमि हमारे नाम करवा दो व अन्य प्रतिवादीगण को कहा कि भूमि हिस्सा के अनुसार विभाजित करवा लो किन्तु सभी प्रतिवादीगण द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 की 2.530 हैक्टर कृषि भूमि मे वादीगण का 1/8 हिस्सा की घोषणा कर अन्तिम विभाजन की डिकी जारी करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा किसी अन्य तरीका से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 6 बी बड़ी का नामान्तरकरण संख्या 206, ग्राम पंचायत, हिन्दूमलकोट(7बी बड़ी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 10 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नही आने के कारण आदेश दिनांक 6 मई, 2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की तलबी हेतु जारी पंजीबद्व सम्मन बाद तामील पाप्त होने पर भी उपस्थित नही आने के कारण आदेश दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 11 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तलबी हेतु जारी पंजीबद्व सम्मन बाद तामील पाप्त होने पर भी उपस्थित नही आने के कारण आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

8/14

A2/12

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा श्री रणवीरसिंह की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 27 फरवरी, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 1 से 25(6.325) हैक्टर संयुक्त खाता में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह के नाम दर्ज था जिसके द्वारा उक्तांकित कृषि भूमि आवेदकगण सर्वश्री जगवीरसिंह, रणवीरसिंह को उपहार विलेख दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा दे दी गयी है जिसके आधार पर नामान्तकरण भी आवेदक के नाम पर दर्ज किया जा चुका है इसलिये आवेदक प्रभावित पक्षकार हैं, पारित होने वाले किसी भी आदेश अथवा निर्णय का सीधा प्रभाव आवेदकगण के अधिकारों पर पड़ेगा. वादीगण को इस तथ्य की पूरी पूरी जानकारी रही है किन्तु उनके द्वारा आवेदक को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है. इस प्रकार आवेदक को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 10 मार्च, 2014, जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारकौर के नाम दर्ज थी जिसके आधार पर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 07 फरवरी, 2014 को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया. श्रीमती प्यारकौर द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नहीं करते हुऐ वादपत्र को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से बेनामी उपहार पत्र निष्पादित किया गया है. विचाराधीन वादपत्र श्रीमती प्यारकौर के विरूद्व तथा अपेक्षित अनुतोष भी श्रीमती प्यारकौर के विरूद्व ही रहा है. वादपत्र के लम्बनकाल में ही उपहार पत्र निष्पादित किया गया है जिसका वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है. ऐसी स्थिति में, आवेदकगण आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र मय व्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त वादपत्र के विचारणकाल में ही प्रश्नगत कृषि भूमि का भाग पंजीकृत उपहारपत्र द्वारा अन्तरित किया गया है तथा विचाराधीन प्रकरण में जारी होने वाले आदेश, निर्णय से आवेदकगण प्रभावित पक्षकार हैं ऐसी स्थिति में, आदेश दिनांक 6 अप्रेल, 2015 द्वारा आवेदनपत्र राशि 1000.00 की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर आवेदक को प्रतिपक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 13 मई, 2015 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्रीती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह के नाम चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 1 से 25 में से श्रीमती प्यारकौर के नाम पर 2.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

530 हैक्टर स्वःर्जित कृषि भूमि है. जिसके द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2014 को उपहारपत्र निष्पादित कर प्रतिवादीगण को उपहार में दिया गया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में 2.530 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है. इस प्रकार प्रतिवादीगण 2.530 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार हैं. प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित उपहारपत्र पंजीबद्व अभिलेख है जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति की बाबत सिविल नयायालय में कार्यवाही की जा सकती है. माननीय न्यायालय को उपहारपत्र की वैद्यता अथवा अवैद्यता निर्धारित करने के अधिकार उपलब्ध नहीं हैं. इस प्रकार वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नही होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को इसी स्तर पर नस्तीबद्व करने हेतु निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्रीमती प्यारकौर द्वारा कभी उपहार पत्र नहीं दिया गया उसे धोखा में रख कर उपहारपत्र करवाया गया है. वादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण उपहारपत्र को निरस्त करने का नहीं बल्कि अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है. विचाराधीन प्रकरण धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय को श्रवणधाधिकार उपलब हैं. उपहार पर तथाकथित नल एण्ड वोयॅड है जिसे निरस्त करवाने की कतई आवश्यकता नहीं है. जिससे प्रतिवादी को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं. इस प्रकार आवेदनपत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त विचाराधीन वाद के अनुतोष में वादी द्वारा पंजीबद्व उपहारपत्र को किसी भी प्रकार से निरस्त करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया. ऐसी स्थिति में, आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2015 द्वारा विचाराधीन प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार से ही सम्बन्धित होने के कारण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 11 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 24 मार्च, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य परस्पर विवाद है जिसमें राज्यपक्ष के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः राज्यहित को ध्यान में रखते हुऐ बाद सुनवाई निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार श्रीमती प्यारकौर ने अपना हिस्सा श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह को पंजीबद्व उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा अन्तरित कर कब्जा उनको सोंप दिया है इस प्रकार राजस्व अभिलेखों मे कृषि भूमि उनके ना पर दर्ज है किन्तु खाता संयुक्त ही है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि को उपहार में देने के पूरे पूरे अधिकार उन्हें उपलब्ध रहे हैं क्योंकि कृषि भूमि स्वःर्जित थी प्रश्नगत कृषि भूमि किसी भी दृष्टिकोण से पैतृक

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/14

सम्पत्ति नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सम्पत्ति की स्वामिनी है जिसे वह अपने जीवनकाल मे किसी को भी अन्तरित कर सकती है जिसमें अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं समझदार है तथा अपना भला बुरा पूरी तरह से जानती है जिसका सभी पुत्रों से प्रेम है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी इच्छा से उपहारपत्र निष्पादित किया गया है किसी के दबाव में आकर नहीं. प्रतिवादी संख्या 2द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि को खुर्दबुर्द नहीं कर रहा व न ही विक्रय कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है. वादीगण दिनांक 20 जनवरी, 2014 को प्रतिवादी के न तो घर आये और न ही कृषि भूमि की बाबत कोई बात ही हुई व न ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई इकरार किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि उपहार में दी गयी है. उपहारपत्र की बाबत मा. न्यायालय को श्रवणाधिकार उपलब्ध नही है. विचाराधीन वादपत्र मा. न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कृषि भूमि शेष नहीं है इसलिये 1/8 हिस्सा की घोषणा नही की जा सकती. समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये विधि अनुसार विभाजन नहीं किया जा सकता. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादीगण द्वारा खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि श्रीमती प्यारकौर द्वारा उपहारपत्र निष्पादित किया गया है तथा प्रतिवादीगण के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है किन्तु जानबूझ कर उनको पक्षकार नहीं बनाया गया. उपहारपत्र की बाबत मा. न्यायालय को श्रवणाधिकार उपलब्ध नही है. विचाराधीन वादपत्र मा. न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 13 मई, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार श्रीमती प्यारकौर ने अपना हिस्सा श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह को पंजीबद्व उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा अन्तरित कर कब्जा उनको सोंप दिया है इस प्रकार राजस्व अभिलेखों मे कृषि भूमि उनके ना पर दर्ज है किन्तु खाता संयुक्त ही है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि को उपहार मे देने के पूरे पूरे अधिकार उन्हें उपलब्ध रहे हैं क्योंकि कृषि भूमि स्वःर्जित थी प्रश्नगत कृषि भूमि किसी भी दृष्टिकोण से पैतृक सम्पत्ति नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सम्पत्ति की स्वामिनी है जिसे वह अपने जीवनकाल मे किसी को भी अन्तरित कर सकती है जिसमें अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं समझदार है तथा अपना भला बुरा पूरी तरह से जानती है जिसका सभी पुत्रों से प्रेम है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी इच्छा से उपहारपत्र निष्पादित किया गया है किसी के दबाव में आकर नहीं. प्रतिवादी संख्या 2द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि को खुर्दबुर्द नहीं कर रहा व न ही विक्रय कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है. वादीगण दिनांक 20 जनवरी, 2014 को प्रतिवादी के न तो घर आये और न ही कृषि भूमि की बाबत कोई बात ही हुई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

8|14

A2/15

व न ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई इकरार किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि उपहार में दी गयी है. उपहारपत्र की बाबत मा. न्यायालय को श्रवणाधिकार उपलब्ध नही है. विचाराधीन वादपत्र मा. न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कृषि भूमि शेष नहीं है इसलिये 1/8 हिस्सा की घोषणा नही की जा सकती. समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये विधि अनुसार विभाजन नहीं किया जा सकता. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादीगण द्वारा खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि श्रीमती प्यारकौर द्वारा उपहारपत्र निष्पादित किया गया है तथा प्रतिवादीगण के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है किन्तु जानबूझ कर उनको पक्षकार नहीं बनाया गया. उपहारपत्र की बाबत मा. न्यायालय को श्रवणाधिकार उपलब्ध नही है. विचाराधीन वादपत्र मा. न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदक श्री जगवीरसिंह द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदनपत्र दिनांक 13 अगस्त, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि चक 6 बी बड़ी के संयुक्त खाता संख्या 34/32 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह के नाम दर्ज थी जिसके द्वारा उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह के नाम पर निष्पादित किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण आवेदकगण के नाम पर दर्ज हो चुका है. इसलिये आवेदक प्रभावित पक्षकार है जो निर्णय होगा उसका सीधा प्रभाव आवेदकगण के अधिकारों पर पड़ेगा. इस प्रकार आवेदकगण को प्रतिवादी के रूप में स्थापित करने का निवेदन किया गया. जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर श्री जगवीरसिंह को प्रतिपक्षकार स्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वर्तमान में उल्लेखित कृषि भूमि दर्ज नही है बल्कि 2.530 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि भूमि की वह हकदार थी जिसके द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि को उपहार कर दिया जिसके आधार पर उपहारधीन कृषि भूमि का नामान्तरकरण रणवीरसिंह एवं जगवीरसिंह के नाम पर दर्ज किया गया है. प्रतिवादी संख्या 1 अपने जीवनकाल में प्रश्नगत कृषि भूमि किसी को भी [illegible] कर सकती थी. श्रीमती प्यारकौर बिल्कुल स्वस्थ तथा अपना भला बुरा पूरी तरह से जानती थी. श्रीमती प्यारकौर प्रतिवादी संख्या 2

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक [illegible]

के प्रभाव में नहीं थी बल्कि उसके द्वारा स्वयं अपनी इच्छा एवं रजामन्दी से प्रतिवादीगण के नाम पर उपहारपत्र निष्पादित किया गया था. अन्य आपत्तियों मे अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि का उसके द्वारा अपने जीवनकाल में उपहारपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2014 प्रतिवादीगण सर्वश्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह के पक्ष मे पंजीबद्व करवा दिया जिसे माननीय न्यायालय को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिये इसी आधार पर वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. पंजीबद्व उपहारपत्र आज तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया तथा राजस्व न्यायालय को पंजीबद्व अभिलेख की वैद्यता/अवैद्यता की बाबत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है इसलिये वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादीगण वैद्य पंजीबद्व अभिलेख के आधार पर खातेदार हैं तथा खातेदार के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को अन्तिम अवसर, दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/32 के 2.530 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का 1/8–1/8 हक व हिस्सा बनता है? **...वादीगण**
2. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1/8–1/8 हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी है? **...वादीगण**
3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित सम्पत्ति है जिसके द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पंजीबद्व अभिलेख उपहारपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2014 के अनुसार उपहार में दी जा चुकी है? **..प्रतिवादी–10**
4. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी के लिय श्री मलूकसिंह, श्री मनमोहनसिंह एवं श्री सुखचरणसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी के लिये श्री रणवीरसिंह, श्री जगवीरसिंह, श्री [illegible]सिंह एवं श्री चन्दसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनसे जिरह की गयी. अभिलेख जमाबन्दी सम्बत्

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

8/14

A2/17

2069–2072(प्रदर्श–1), पंजीबद्व दस्तावेज उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014(प्रदर्श–1ए) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

1995 RRD 532 Smt. Rampati & anr vs. Parasram & ors.
2013(1) RJ RLW 642 Vidur Impe and Traders Pvt. Ltd & ors vs. Tosh Apartments Pvt. Ltd. & Ors.
2018(1) RRT 12 Surjan Singh & ors vs. Mahengal Singh & ors.
2017 RRD 286 Smt. Kamlesh Bawri vs Ranjeetsingh & ors.
का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/32 के 2.530 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का 1/8–1/8 हक व हिस्सा बनता है? **...वादीगण**

साक्षी वादी श्री सुखचरणसिंह द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह मे यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि यह रकबा जीवों के आधार पर अलाटमेन्ट हुआ था. उपरोक्त जमीन जा प्यारो के नाम थी वह उसकी खुद काश्त करती थी. इसी तथ्य का समर्थन साक्ष्य प्रतिवादी श्री मंगलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन कि यह जमीन जीवों के आधार पर अलाट हुई. इस प्रकार श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह के परिवार की सदस्या अर्थात श्री मालासिंह की धर्मपत्नी थी तथा प्रश्नगत कृषि भूमि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर आवंटित की गयी न कि क्लेमन्ट के रूप में, जिसके विपरीत वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह तथ्य सिद्व होता हो तो प्रश्नगत कृषि भूमि श्री मालासिंह की वारिस के रूप में अथवा श्री मालासिंह द्वारा श्रीमती प्यारकौर को अन्तरित की गयी हो तथा प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति का ही हिस्सा हो. ऐसी स्थिति में, परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटित कृषि भूमि का अनुपातिक रूप से पारिवारिक एवं उल्लेखित सदस्य की पूर्ण स्वामित्वता होती है. श्रीमती प्यारकौर द्वारा अपने जीवनकाल में दस्तावेज उपहारपत्र(गिफ्ट डीड) दिनांक 10 मार्च, 2014 (पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 102 पृष्ठ संख्या 195 के क्रम संख्या 2014000466 दिनांक 11 मार्च, 2014 को पंजीकृत एव पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 149 के पृष्ठ संख्या 175 से 179 पर चस्पा किया गया) श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी. जिसकी बाबत साक्ष्य वादी श्री मनमोहनसिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन किये गये हैं कि हमने सिविल न्यायालय में दानपत्र निरस्त करने का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया. उसके खिलाफ भी हमने कोई अपील आदि नहीं की. इसी तथ्य को साक्ष्य

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

8/14

A2/18

वादी श्री मलूकसिंह द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में स्वीकार किया गया है कि प्यारों के नाम जमाबन्दी में 10.00 बीघा से उपर जमीन है यह सही है कि प्यारोंबाई ने अपना सारा रकबा अपने पोतों मंगलसिंह के लड़को के नाम उपहार पत्र से कर दिया और यह सही है कि जमीन का कब्जा उपहारपत्र में जगवीरसिंह, रणवीरसिंह के पास है और इस जमीन का इन्तकाल भी उनके नाम पर हो चुका है. हमने उसके खिलाफ इन्तकाल इंतकाल की अपील नहीं की क्योंकि हमें उसकी सूचना नहीं मिली. यह सही है कि गिफ्ट डीड को निरस्त करवाने का सिविल कोर्ट मे कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया. इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि श्रीमती प्यारोबाई की पैतृक सम्पत्ति न होकर परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटित कृषि भूमि थी जिसकी बाबत श्रीमती प्यारोबाई को समस्त स्वत्व अधिकार उपलब्ध रहे हैं जिनके परिदृश्य ही श्रीमती प्यारोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में दस्तावेज उपहारपत्र(गिफ्ट डीड) दिनांक 10 मार्च, 2014 (पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 102 पृष्ठ संख्या 195 के क्रम संख्या 2014000466 दिनांक 11 मार्च, 2014 को पंजीकृत एव पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 149 के पृष्ठ संख्या 175 से 179 पर चस्पा किया गया) श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी. जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी व न ही उपहारग्रहितागण के नाम पर दर्ज नामान्तरकरण को ही अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है. ऐसी स्थिति में, चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/32 के 2.530 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से 1/8–1/8 हक व हिस्सा नहीं बनता है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1/8–1/8 हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी है? ...**वादीगण**

विवाद्यक संख्या 1 की विवेचना के अनुसार चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/32 के 2.530 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से 1/8–1/8 हक व हिस्सा नहीं बनना पाया गया है. ऐसी स्थिति में, वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि को विभाजित करवाने के अधिकारी नहीं होने के कारण विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित सम्पत्ति है जिसके द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पंजीबद्व अभिलेख उपहारपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2014 के अनुसार उपहार में दी जा चुकी है? ..**प्रतिवादी–10**

साक्षी वादी श्री सुखचरणसिंह द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह मे यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(मुख्यालय) श्रीगंगानगर

8/14

A2/19

यह रकबा जीवों के आधार पर अलाटमेन्ट हुआ था. उपरोक्त जमीन जा प्यारो के नाम थी वह उसकी खुद काश्त करती थी. इसी तथ्य का समर्थन साक्ष्य प्रतिवादी श्री मंगलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन कि यह जमीन जीवों के आधार पर अलाट हुई. इस प्रकार श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह के परिवार की सदस्या अर्थात श्री मालासिंह की धर्मपत्नी थी तथा प्रश्नगत कृषि भूमि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर आवंटित की गयी न कि क्लेमन्ट के रूप में, जिसके विपरीत वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह तथ्य सिद्व होता हो तो प्रश्नगत कृषि भूमि श्री मालासिंह की वारिस के रूप में अथवा श्री मालासिंह द्वारा श्रीमती प्यारकौर को अन्तरित की गयी हो तथा प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति का ही हिस्सा हो. ऐसी स्थिति में, परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटित कृषि भूमि का अनुपातिक रूप से पारिवारिक एवं उल्लेखित सदस्य की पूर्ण स्वामित्वता होती है. साक्ष्य वादी श्री मलूकसिंह द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में स्वीकार किया गया है कि प्यारों के नाम जमाबन्दी में 10.00 बीघा से ऊपर जमीन है यह सही है कि प्यारोंबाई ने अपना सारा रकबा अपने पोतों मंगलसिंह के लड़को के नाम उपहार पत्र से कर दिया और यह सही है कि जमीन का कब्जा उपहारपत्र में जगवीरसिंह, रणवीरसिंह के पास है और इस जमीन का इन्तकाल भी उनके नाम पर हो चुका है. हमने उसके खिलाफ इन्तकाल इंतकाल की अपील नहीं की क्योंकि हमें उसकी सूचना नहीं मिली. यह सही है कि गिफ्ट डीड को निरस्त करवाने का सिविल कोर्ट मे कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया. जिनके परिदृश्य ही श्रीमती प्यारोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीबद्व दस्तावेज उपहारपत्र के माध्यम से श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह को अन्तरित की गयी है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी व न ही उपहारग्रहितागण के नाम पर दर्ज नामान्तरकरण को ही अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है.इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में विनिश्चित की जाती है.

विवाद्यकों की विवेचना के आधार पर चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि श्रीमती प्यारोबाई को परिवार की सदस्या के रूप में आवंटित थी, जिसे किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से पैतृक सम्पत्ति नही कहा जा सकता, को श्रीमती प्यारोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में दस्तावेज उपहारपत्र(गिफ्ट डीड) दिनांक 10 मार्च, 2014 (पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 102 पृष्ठ संख्या 195 के कम संख्या 2014000466 दिनांक 11 मार्च, 2014 को पंजीकृत एव पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 149 के पृष्ठ संख्या 175 से 179 पर चस्पा किया गया) श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी. जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर नामान्तरकरण भी दर्ज किया जा चुका है किन्तु ऐसे पंजीबद्व अभिलेख उपहारपत्र(गिफ्ट डीड) दिनांक 10 मार्च, 2014 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी व न ही वादीगण द्वारा उक्त अभिलेख उपहारपत्र(गिफ्ट डीड) दिनांक 10 मार्च, 2014 के

8|14

A2/20

आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को ही चुनौती दी गयी है. ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण विचाराधीन वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। निर्णय ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

8/14

A2/21

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

1. सुखचरणसिंह आयु 60 वर्ष एवं
2. मलूकसिंह आयु 65 वर्ष आत्मजन श्री मालासिंह, रायसिख, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

3. श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह,
4. दर्शनसिंह,
5. मंगलसिह आत्मजन श्री मालासिंह, रायसिख, चक 6 जी बड़ी
6. श्रीमती सरजीतकौर आत्मजा श्री मालासिंह धर्मपत्नी श्री बगीचसिंह, रायसिख, चक खन्ना तहसील जीरा जिला फिरोजपुर(पंजाब)
7. सतपालसिंह,
8. श्रीमती अमनदीपकौर एवं
9. श्रीमती गुरप्रवाहकौर आत्मजन श्री सतनामसिंह, रायसिख, चक बहैक बादेला तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)
10. सुभाषचन्द्र एवं
11. गौरीशंकर आत्मजन श्री मांगीलाल, जाट, हरदीपसिंह कालोनी, श्रीगंगानगर,
12. रणवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी
13. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
14. जगवीरसिंह आत्मज श्री मंगलसिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी

..**प्रतिवादीगण**

वादपत्र संख्या 363/2013
अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री तेजासिंह एवं श्री ओमप्रकाश बत्तरा प्रतिवादी संख्या 6,7,12,14 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–13) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादपत्र निरस्त किया जाता है

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य. वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 4 जुलाई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर